कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9/उपा०कीट०–33/2012 /कृ0, पटना, दिनांक 2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स रोहिणी बायो एग्रोकेम प्रा0 लि0,
नियर प्राथमिक विद्यालय, ऑपोजिट शिवमंदिर,
चिपुरा खुर्द, सम्पतचक, पटना–53

विषय :– **कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति संख्या–46–47 दिनांक 31.07.2012 के नवीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त प्रपत्र–VII, कोषागार चालान एवं अन्य मान्य कागजातों एवं उप निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 में निहित प्रावधानों एवं कीटनाशी (संशोधन) नियम 2015 के आलोक में प्रपत्र– VIII, में अंकित शर्तों के अधीन विषयांतर्गत अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (पौ0सं0) बिहार पटना/संबंधित उप निदेशक (पौ0सं0)/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी तथा संबंधित सहायक निदेशक (पौ0सं0) को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

३. कीटनाशी अनुज्ञप्ति हेतु आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र जो सावधिक है, को पुनः ससमय प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. कीटनाशी अनुज्ञप्ति जिन शर्तों पर निर्गत किया गया है, उनमें से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं होने की स्थति में आपके अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2135 /कृ0, पटना, दिनांक 10–4– 2018

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य उपादान, बिहार, पटना/ जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.4.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

G:\binay\Pesticide Licence Year-2018-19?ठपदंल?च्मेजपबपकमसमजजमत.0015एकवबग
5